प्रैस नोट

जेलों में मोबाईल फोन व अन्य अवांछनीय सामग्री तथा आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध 'ऑपरेशन फ्लश आउट' प्रारम्भ

जेलों में मोबाईल फोन, चार्जर, अफीम, चरस आदि मादक पदार्थ,बीड़ी, सिगरेट ,जर्दा, गुटका एवं अन्य अवांछनीय निषिद्ध वस्तुओं का तस्करी के माध्यम से प्रवेश तथा इसी प्रकार जेल परिसर से कई कैदियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों के संचालन के विरूद्ध जेल विभाग के द्वारा दिनांक 21/11/2020 से 31/12/2020 तक 'ऑपरेशन फ्लश आउट' के नाम से एक विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है।

राजीव दासोत, महानिदेशक कारागार ने बताया कि इस अभियान के अन्तर्गत राज्य की समस्त जेलों की सघन तलाशी समय-समय पर आकस्मिक रूप से दिन अथवा रात में ली जायेगी तथा अवांछित वस्तुओं की बरामदगी कर संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी। इसी प्रकार जेल से संचालित होने वाली आपराधिक गतिविधियों को समूल नष्ट करने की दृष्टि से प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

श्री दासोत ने बताया कि इस अभियान के अन्तर्गत शनिवार व रविवार दिनांक 21 व 22 नवम्बर,2020 को राज्य की 105 जेलों एवं उप कारागृहों में दिन व रात में औचक रूप से जेल विभाग के द्वारा सघन तलाशी ली गई। इसके अन्तर्गत कुख्यात बंदी लॉरैन्स विश्नोई के कब्जे से एक मोबाईल फोन, एक इयर फोन तथा 4 डाटा केबल बरामद की गई। इस प्रकार जिला कारागृह, प्रतापगढ़ में 5 मोबाईल फोन बरामद किये गये।

उल्लेखनीय है कि नवम्बर माह में पूर्व से जारी तलाशी अभियान में केन्द्रीय कारागृह,भरतपुर,जोधपुर,उदयपुर,उदयपुर,अजमेर,अलवर और जिला कारागृह, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं उप कारागृह,श्रीकरणपुर आदि स्थानों पर ली गई तलाशी में कुल 26 मोबाईल फोन, 10 चार्जर, 14 सिमकार्ड, 07 ईयर फोन, 05 डेटा केबल बरामद किये जा चुके हैं। कारागृह प्रशासन द्वारा इन सभी मामलों में कारागार अधिनियम के तहत पुलिस थानों में प्रकरण भी पंजीबद्ध करवाये गये हैं।

'ऑपरेशन फ्लश आउट' के अन्तर्गत भ्रष्टाचार,आपराधिक तत्वों से मिलीभगत तथा आपराधिक गतिविधियां करने वाले कर्मियों के विरूद्ध भी जीरो टॉलरेन्स रखते हुए कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

****